

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

FAQ

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	ऑन-लाइन आवेदन पत्र भरा गया है। इसकी हार्ड कॉपी नहीं निकल पा रही है, जो आवश्यक है जिस कारण से प्रमाण पत्रों की जाँच में दिक्कत हो रही है।	आप जाँच समिति के समक्ष सभी वांछित प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 14/06/2019 के 11.00 बजे से जाँच करा सकते हैं तथा विभाग से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की सुविधा है।
2.	बी0 टेक0 और एम0 टेक0 के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं परन्तु अंतिम वर्ष का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, क्या जाँच समिति के समक्ष जाँच करा सकते हैं।	नहीं। दिनांक 31.03.2019 की तिथि तक निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही साक्ष्य होंगे।
3.	जाति/आय, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र में विलम्ब के कारण उनको प्रस्तुत करने में कठिनाई है, क्या इसको बाद में जमा किया जा सकता है।	सभी प्रमाण पत्र दिनांक 14/06/2019 की तिथि को जाँच समिति के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत करें।
4.	विभाग द्वारा मैसेज देकर बुलाया गया लेकिन आई0डी0 उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रमाण पत्र की जाँच नहीं करायी जा सकी। क्या करना है मदद की जाए।	मैसेज एवं पहचान पत्र के साथ दिनांक 14/06/2019 को 11.00 बजे से जाँच समिति के समक्ष जाँच करायी जा सकती है। विभाग द्वारा आई0डी0 तथा आवेदन की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की सुविधा है।
5.	अभ्यर्थी द्वारा अपना एवं अपने पिता का नाम गलत अंकित कर दिया है। नाम में अंतर है।	प्रमाण पत्रों के पूर्ण सत्यापन के बाद समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। दिनांक 14/06/2019 को 11.00 बजे से सत्यापन करा सकते हैं।
6.	Lecturer के स्थान पर Associate Professor भर दिया गया है। क्या पद को Change किया जा सकता है।	नहीं।

३

7.	मैसेज प्राप्त होने के पश्चात् समयाभाव के कारण समिति के समक्ष प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं करा पाये हैं। क्या अवसर मिल सकता है।	हाँ। दिनांक 14/06/2019 को 11.00 बजे से आप जाँच करा सकते हैं।
8.	CGPA से percentage conversion के संबंध में ।	यदि कॉलेज से Student conversion उपलब्ध नहीं कराते हैं। AICTE के norms के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
9.	GATE 2016 एवं पूर्व का Website पर उपलब्ध नहीं है , क्या इससे अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।	अभ्यर्थिता प्रभावित नहीं होगी। परन्तु GATE प्रतिशत की जाँच संबंधित संस्थान से कराने के पश्चात् निर्णय लिया जाएगा।

नोट— यह प्रश्नोत्तर सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है। सभी प्रकार की कानूनी/प्रक्रियात्मक व्यवस्था दिनांक 07/03/2019 एवं 08/03/2019, विभाग के दिये गये विज्ञापन के अनुरूप की जा सकेगी।

